(26)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा.

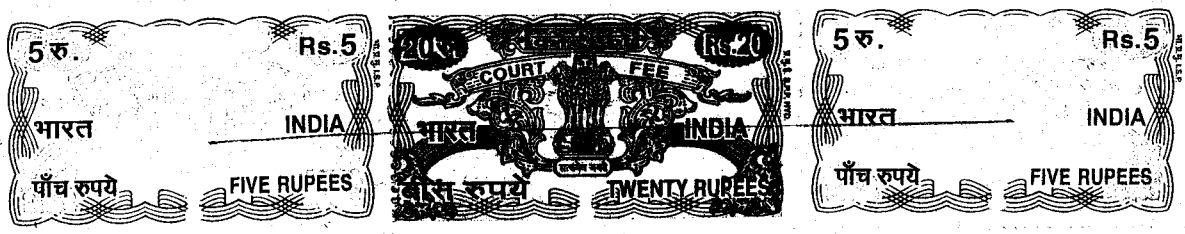

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

RS-301

R 540/6-II/16

1- मुसo प्रेमवती पाण्डेय पत्नी स्वoश्री लालमणि पाण्डेय, उम्र 70 साल, निवासी ग्राम पोस्ट सेमरिया, तहसील सेमरिया, जिला रीवा ॥मoप्रo॥-

2- सन्तोष कुमार पाण्डेय पिता स्वoश्री लालमणि पाण्डेय, उम्र 24 साल, निवासी ग्राम पोस्ट सेमरिया, तहसील सेमरिया, जिला रीवा ॥मoप्रo॥-

---निगरानी कर्तागण

अधिवक्ता श्री अशोक सिंह द्वारा प्रस्तुत। 15-9-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

विरूद्ध

1- रामविलास पाण्डेय पिता स्वo श्री काशी प्रसाद पाण्डेय,

2- प्रेमलाल पाण्डेय पिता स्वoश्री रमाशंकर पाण्डेय,

3- नाथूलाल पाण्डेय पिता स्वoश्री रमाशंकर पाण्डेय,

4- छोटेलाल पाण्डेय पिता स्वoश्री रमाशंकर पाण्डेय,

-----सभी निवासी ग्राम पोस्ट सेमरिया तहसील सेमरिया, जिला रीवा ॥मoप्रo॥-

----अनावेदकगण

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 798/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23/8/2016 के विरूद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

॥1॥ अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/8/2016 के विधि एवम् प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जानें

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5406–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04 –4–2017	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 798/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23–8–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ उभय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवालेकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सहित अपर आयुक्त दोनों अपीलीय न्यायालय ने समवर्ती निष्कर्ष निकालकर प्रस्तुत वसीयत को सिद्ध पाया है और वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिये हैं। आवेदक द्वारा उठाये गये अन्य तर्कों का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों ने विस्तार से विवेचनाकर किया गया है। दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रथमदृष्टया इस निगरानी में प्रकट नहीं होता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	